राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 17)

[28 मार्च, 2021]

भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता करने के लिए, जिसमें अवसंरचना वित्तपोषण हेतु आवश्यक बंधपत्र और व्युत्पाद बाजारों का विकास भी सम्मिलित है और अवसंरचना वित्तपोषण का कारबार करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न

तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संपरीक्षा समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की संपरीक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 6 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड अभिप्रेत हैं ;

(ग) "ब्यूरो" से कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए और धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन किसी निदेशक को हटाए जाने के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु अधिसूचित कर सकेगी ;

(घ) "अध्यक्ष" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "समिति" से धारा 15 के अधीन गठित बोर्ड की कोई समिति अभिप्रेत है ;

(च) "उप प्रबंध निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त उप प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(छ) "निदेशक" के अंतर्गत धारा 6 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक आते हैं ;

(ज) "कार्यपालिका समिति" से धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है ;

(झ) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में उसका है ; 2002 का 54

(ञ) "स्वतंत्र निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;

(ट) "अवसंरचना" से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवसंरचना क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अभिप्रेत हैं ;

(ठ) "संस्था" से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(ड) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उपधारा (9) में है ; 1938 का 4

(ढ) "प्रबंध निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(ण) "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(थ) "पेंशन निधि" का वही अर्थ होगा, जो पेंशन निधि विनियामक और
2013 का 23 विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ;

(द) "विहित" से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं और इसमें धारा 29 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम भी सम्मिलित हैं ;

1934 का 2 (न) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;

(प) "जोखिम प्रबंध समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति अभिप्रेत है ;

(फ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में
1872 का 9 परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय भागीदारी
1932 का 9 अधिनियम, 1932, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति
1956 का 42 और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण
1992 का 15 वसूली अधिनियम, 1993, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी
1993 का 51 अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में हैं ।
2009 का 6
2013 का 18

अध्याय 2

संस्था की स्थापना और निगमन

संस्था की स्थापना और निगमन ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक वित्तीय विकास संस्था के रूप में, जिसे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक कहा जाएगा, एक संस्था स्थापित की जाएगी ।

(2) संस्था, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) संस्था का मुख्यालय मुम्बई में होगा ।

(4) संस्था, भारत के भीतर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगी ।

संस्था के प्रयोजन और उद्देश्य ।

4. (1) संस्था के, उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथा उपवर्णित विकासात्मक और वित्तीय उद्देश्य होंगे ।

(2) संस्था का विकासात्मक उद्देश्य, भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए निर्माण को सुकर बनाने और सुसंगत संस्थाओं की अभिवृद्धि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं, संस्थागत विनिधानकर्ताओं तथा भारत के भीतर या भारत से बाहर ऐसे अन्य सुसंगत पणधारियों के बीच समन्वय बनाने का होगा ।

(3) संस्था का वित्तीय उद्देश्य, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उधार देना या निवेश करना और भारत में सतत् आर्थिक विकास का पोषण करने की दृष्टि से, भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश को आकर्षित करना होगा ।

प्राधिकृत शेयर पूंजी ।

5. (1) संस्था की प्राधिकृत शेयर पूंजी दस खरब रुपए होगी, जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्णत: समादत्त शेयरों के दस हजार करोड़ रुपए से विभाजित की जाएगी :

परंतु बोर्ड, शेयरों का अभिहित या अंकित मूल्य बढ़ा या घटा सकेगा और ऐसे मूल्य वर्ग में से प्राधिकृत पूंजी को विभाजित कर सकेगा, जैसा वह विनिश्चय करे :

परंतु यह और कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, पूर्णत: समादत्त शेयरों के सभी मामलों में शेयरों के अध्यधीन प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगा ।

(2) संस्था की जारी की गई शेयर पूंजी, ऐसी तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, केंद्रीय सरकार को आबंटित किया जाएगा ।

(3) संस्था के शेयर केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाएं, संप्रभु स्वास्थ्य निधियों, पेंशन निधियों, बीमाकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा, जो विहित की जाएं, धारित किए जा सकेंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, सभी समयों पर संस्था के शेयरों का कम से कम छब्बीस प्रतिशत धारित करेगी ।

(4) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अपनी शेयर पूंजी को कम कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेना भी है ।

अध्याय 3

निदेशक बोर्ड और प्रबंधन

निदेशक बोर्ड ।

6. (1) संस्था का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

(ख) बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरणों से अनापत्ति के अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, नियुक्त किया जाने वाला एक प्रबंध निदेशक;

(ग) तीन से अनधिक उप प्रबंध निदेशक, जिनमें से प्रत्येक बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरणों से अनापत्ति के

अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो निदेशक, जो केंद्रीय सरकार के पदधारी होंगे;

(ङ) तीन से अनधिक निदेशकों की ऐसी संख्या, जो शेयर धारकों द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचित किए गए हैं, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार से भिन्न ऐसा कोई शेयर धारक, जो कुल जारी की गई साधारण अंश पूंजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है, एक निदेशक नामनिर्देशित कर सकेगा ;

(च) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक या बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई, जो भी उच्चतर हो, ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक :

परंतु यदि शेयर धारकों के साथ जारी साधारण शेयर पूंजी की धृति की प्रतिशतता तीन निदेशकों के निर्वाचन की अनुज्ञा नहीं देती है या शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण किए जाने तक, बोर्ड, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी संख्या को किसी भी समय सहयोजित कर सकेगा, जो शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण करने तक पद धारण करेंगे और ऐसे सहयोजित स्वतंत्र निदेशक किसी समान संख्या में सहयोजन के क्रम में सेवानिवृत्त होंगे:

परंतु यह और कि खंड (ङ) या खंड (च) में विनिर्दिष्ट निदेशकों में कम से कम एक महिला होगी ।

(2) प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक, बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति, जो संस्था का वेतन भोगी अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक के पद के सिवाय, बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के समावेशन की निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए, स्वतंत्र निदेशक समझे जाएंगे । 2013 का 18

प्रबंधन ।

7. (1) संस्था के कार्य और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन बोर्ड में निहित होगा, जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे सभी कार्य या चीजें करेगा, जिनका संस्था द्वारा प्रयोग किया जाए या जो उसके द्वारा किए जाएं ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में कारबार के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

8. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी निदेशक या इस अधिनियम के अधीन गठित समिति या संस्था के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ।

9. (1) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशक, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक का न हो, पद धारण करेंगे और दस वर्ष से अनधिक की संपूर्ण पदावधि के अध्यधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, क्रमश: पैंसठ वर्ष और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट या नियुक्त अध्यक्ष और निदेशक, उन्हें नामनिर्दिष्ट करने वाले या नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार या शेयर धारकों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और निदेशक, ऐसी फीस और पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो विहित की जाए:

परंतु इस उपधारा के अधीन संदेय कोई फीस या पारिश्रमिक को संस्था के अभिलाभों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(4) प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते बाजार मानकों द्वारा मार्गदर्शित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(5) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी निदेशक को, जो केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

निदेशकों की निरर्हताएं और पद से हटाया जाना ।

10. (1) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने केंद्रीय सरकार की राय में अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) जिसे किन्हीं कारणों से—

(i) सरकार; या

(ii) किसी बैंक, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक भी हैं; या

(iii) किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम; या

(iv) सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम,

की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ।

(2) किसी निदेशक को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(3) कोई निदेशक, जो संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो जाता है, तो वह यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से निदेशक नहीं रहेगा ।

(4) इस धारा के अधीन निरर्हताएं या हटाया जाना—

(क) न्यायनिर्णयन, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन के लिए प्रभावी नहीं होगा ; या

(ख) जहां दंडादेश या आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे न्यायनिर्णयन, दंडादेश या दोषसिद्धि के विरुद्ध तीस दिन के भीतर कोई अपील या याचिका दाखिल की जाती है वहां ऐसी तारीख से जिसको ऐसी अपील या याचिका का निपटारा किया जाता है, सात दिन की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगी ।

कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य निदेशकों का हटाया जाना ।

11. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, अध्यक्ष को पद से हटा सकेगी और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी;

(ii) बोर्ड, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (च) के अधीन नियुक्त किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकेगा और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा;

(iii) केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारक, जो ऐसे सभी शेयर धारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से अन्यून सकल धृति रखते हैं, ऐसे शेयर धारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को हटाया जा सकेगा और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सकेगा :

परंतु कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे हटाए जाने के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या निदेशकों को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ता प्रदान करते हुए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विहित पदावधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उनकी पदावधि समाप्त करने का अधिकार होगा ।

रिक्ति और निदेशकों द्वारा पदत्याग ।

12. (1) यदि कोई निदेशक—

(क) धारा 10 में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं के अध्यधीन हो जाता है या धारा 11 के अधीन हटाया जाता है ; या

(ख) बोर्ड से छुट्टी के बिना लगातार तीन या अधिक उसकी बैठकों में अनुपस्थित रहता है,

तो उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) कोई निदेशक बोर्ड को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और बोर्ड द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर या यदि ऐसा त्यागपत्र यथाशीघ्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा उसके प्राप्त किए जाने से तीन मास के अवसान पर, ऐसा निदेशक अपने पद से रिक्त समझा जाएगा ।

बोर्ड की बैठकें ।

13. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) बोर्ड की बैठक प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित की जाएंगी ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यदि किसी भी कारण से, वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होने की दशा में, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य निदेशक और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में, बैठक में उपस्थित निदेशकों में से निर्वाचित कोई निदेशक बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक निदेशक के पास एक मत होगा ।

नियुक्ति में त्रुटि से कार्यों, आदि का अविधिमान्य न होना ।

14. (1) बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को केवल यथास्थिति, बोर्ड या समिति में विद्यमान किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) बोर्ड के निदेशक के रूप में या उसकी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि वह निदेशक होने के लिए निरर्हित था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य त्रुटि थी ।

बोर्ड की समितियां।

15. (1) बोर्ड, एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, एक जोखिम प्रबंध समिति और एक संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो प्रत्येक बहुमत बनाने वाले स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी ।

(2) बोर्ड, एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा जो निदेशकों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगी, जो आवश्यक समझा जाए ।

(3) संस्था का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होगा और पहले वर्ष के पश्चात् वह संपरीक्षा समिति या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा ।

(4) बोर्ड, ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(5) इस धारा के अधीन गठित कार्यकारी समिति या कोई अन्य समितियां ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेंगी और अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बोर्ड या समितियों के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन ।

16. (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में, किसी निगमित निकाय में अपना सरोकार या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धारण भी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकट करेगा ।

(2) प्रत्येक निदेशक, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी तरह, संविदा या ठहराव या प्रस्तावित संविदा या ठहराव, जो संस्था द्वारा की जाती है या की जानी है, से संबद्ध या हितबद्ध है—

(क) ऐसे किसी निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ सहयोजन में ऐसा निदेशक, उस निगमित निकाय के दो प्रतिशत शेयर धारण से अधिक शेयर धारण करता है या उस निगमित निकाय का संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है ; या

(ख) किसी फर्म या अन्य इकाई के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा, जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार-विमर्श किया जाता है या ऐसी संविदा या ठहराव के संबंध में कोई अन्य विचार-विमर्श या चर्चा की जाती है और बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में ऐसे विचार-विमर्श की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में उसके सरोकार या हित की

प्रकृति का प्रकटन होता है:

परंतु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करते समय इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, यदि वह संविदा या ठहराव किए जाने के पश्चात्, संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है, तो उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने पर अपने सरोकार या हित को तुरंत या उसके इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध हो जाने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में उसे प्रकट करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन के बिना संस्था द्वारा की गई कोई संविदा या ठहराव या ऐसे किसी निदेशक द्वारा, जो ऐसी संविदा या ठहराव में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी तरह संबद्ध या हितबद्ध है, भाग लेना, संस्था के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा ।

(4) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें बोर्ड, संस्था में ज्येष्ठ प्रबंध गठित करने वाला विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिसमें उनका वैयक्तिक हित है जिनसे संस्था के हित से मतभेद संभाव्य है, का प्रकटन करेंगे और बोर्ड, ऐसे संव्यवहारों पर उनकी किसी तात्विक सीमा सहित कोई नीति विनिर्मित करेगा और ऐसी नीति का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हित संघर्ष, ऐसे निकाय जिनमें ज्येष्ठ प्रबंध व्यष्टि या उसके नातेदारों के पास शेयरधारण, आदि हैं, से वाणिज्यिक व्यवहार करने वाली संस्था या उसकी किसी समनुषंगियों या सहायक कंपनियों के शेयरों से व्यवहार करने से संबंधित हैं ।

(5) यदि कोई व्यष्टि, जो एक निदेशक है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा व्यष्टि या कर्मचारी एक लाख रुपए तक की शास्ति के संदाय का दायी होगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह संस्था पर निर्भर होगा कि वह ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संविदा या ठहराव किया है, ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वहन की गई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजनों के लिए, "निगमित निकाय" पद में कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में यथा परिभाषित निगमित निकाय, फर्म, वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उपक्रम और व्यक्तियों का कोई अन्य निगमित संगम या व्यष्टि निकाय सम्मिलित है । 2013 का 18

अध्याय 4

संस्था के क्रियाकलाप

संस्था के कृत्य और शक्तियां ।

17. (1) संस्था, निम्नलिखित कृत्यों को करेगी और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :—

(i) अपने कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, भारत में या भारत से बाहर अवस्थित समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों या शाखाओं से और ऐसी समनुषंगी कंपनी या संयुक्त उद्यम या शाखा के साथ ऐसी समनुषंगी कंपनी या संयुक्त उद्यम या शाखा का वित्तपोषण करने या उनके किन्हीं दायित्वों को प्रतिभूत करने सहित कोई ठहराव करना या ऐसे अन्य ठहराव करना, जिन्हें बोर्ड वांछनीय समझे ।

(ii) अपने प्रचालन और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं के प्रचालन में समन्वय करना और अवसंरचना वित्त से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारिवृंद रखना और केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई अन्य संस्थाओं को परामर्श के लिए उपलब्ध रहना ;

(iii) ऐसी प्रकृति की निधियों की स्थापना के लिए, जो भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करेगी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन न्यासों की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत भू-संपदा विनिधान न्यास और अवसंरचना विनिधान न्यास भी हैं ;

1882 का 2

(iv) अवसंरचना वित्तपोषण, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक और बातचीत से तय की गयी बाजार अवसंरचना को सुकर बनाना, विनिधानकर्ता की सुरक्षा, अवसंरचना न्यायनिर्णयन, आदि भी है, के लिए बंधपत्रों, ऋणों और व्युत्पन्नों के लिए गहन और नकद बाजार के विकास में सहायता करना ;

(v) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को, जिसके अंतर्गत उसके प्राप्यों के निम्नांकन प्रत्यय, प्रतिभूतिकरण जिसके अंतर्गत निकासी प्रमाणपत्र या प्रत्यक्ष समनुदेशन, अंतरण या नवीयन के रूप में या परियोजना से प्राप्यों द्वारा प्रतिभूत संव्यवहार सहित नवोन्मेषी वित्तीय साधनों द्वारा उधार देना और विनिधान करना भी है ;

(vi) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी अवसंरचना निधीयन कंपनी या कानूनी निगम या न्यास या किसी वित्तीय संस्था के ऋण और अधिदायों का विस्तार करना ;

(vii) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उधार देने वाले के द्वारा बढ़ाए गए विद्यमान ऋणों का कार्यभार लेना या उनकी पुनर्वित्तपूर्ति करना;

(viii) उसके द्वारा प्रदत्त ऋणों और अधिदायों का प्रतिफल के लिए प्रतिभूति सहित या उसके बिना न्यासों को अंतरण करना;

(ix) संस्था द्वारा धारित ऋणों या अधिदायों को अलग रखना और ऋण बाध्यता, फायदाप्रद हित का न्यास प्रमाणपत्र या अन्य लिखत के रूप में, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, इस प्रकार अलग रखे गए ऐसे ऋणों या अधिदायों पर आधारित प्रतिभूतियों को जारी करना और उनका विक्रय करना तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना ;

(x) संस्था को जारी की गई प्रतिभूतियों को समनुदेशित करना ;

(xi) किसी कंपनी या न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या संगम या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या अवसंरचना वित्तपोषण करने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी या प्रत्याभूत, स्टॉकों, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचर स्टॉकों, ऋण प्रतिभूतियों, बाध्यताओं और प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों, निक्षेप-प्रमाणपत्रों या डिबेंचरों को भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए या अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बंधपत्र बाजार को मजबूत करने को सुकर बनाने के लिए प्रतिश्रुत करना या क्रय, निम्नांकन, अर्जन, धारण या विक्रय करना ;

(xii) ऋण के माध्यम से या अन्यथा, रुपए या विदेशी मुद्रा दोनों में धन उधार लेना या समुत्थापित करना या डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाकों, बंधपत्रों, सभी प्रकार की बाध्यताओं, बंधकों और प्रतिभूतियों, चाहे शाश्वत या पर्यवसेय हो और चाहे विमोचनीय या अन्यथा हो, के निर्गम और विक्रय द्वारा धन का संदाय सुनिश्चित करना या उसे न्यास विलेख या अन्यथा द्वारा संस्था के वचनबंध पर, जिसके अंतर्गत उसकी प्राधिकृत और जारी की गई पूंजी भी है या संस्था या अन्यथा किसी भी तरह की वर्तमान या भविष्यवर्ती किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति और अधिकार पर भारित या प्रतिभूत करना ;

(xiii) केंद्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पारस्परिक निधियों, व्यक्तियों के किसी वर्ग और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था या प्राधिकरण या संगठन से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो, धन उधार लेना और केवल आस्ति दायित्व असंतुलन के प्रबंधन के लिए और न कि किसी अन्य कारबार के प्रयोजन के लिए, अल्पावधि ऋण स्वीकार करना;

(xiv) क्रय या विक्रय या ऐसे अन्य विदेशी विनिमय में व्यवहार करना, जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ;

(xv) भागीदारी प्रमाणपत्र या ऋण प्रतिभूतियां जारी करना तथा अवसंरचना विकास और वित्तपोषण में लगी हुई कंपनियों और अन्य इकाईयों के ऋण संविभाग के प्रतिभूतिकरण की अभिवृद्धि करना और उसे सुकर बनाना तथा प्रत्याभूत प्राप्यों के लिए द्वितीयक बाजार का सृजन करना और विकास करना, जिसके अंतर्गत किसी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना भी है ;

(xvi) प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना धन उधार देना और न्यास में धृति पर अभिदाय देना, किन्हीं प्रतिभूतियों या विनिधानों को कमीशन पर या अन्यथा जारी करना, क्रय करना, विक्रय करना या अन्यथा अर्जित करना या उनका निपटारा करना या इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(xvii) परियोजनाओं के पूरे जीवन चक्र के अवसंरचना क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों को उधार देना या उनमें विनिधान करना या उनकी वृतिक या तकनीकी सेवाएं अर्जित करना;

(xviii) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रत्यय वृद्धि सुविधाओं को विस्तार रूप में सम्मिलित करते हुए अवसंरचना कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित संव्यवहारों या सेवाओं के संबंध में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(xix) अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रभावी विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों और पणधारियों के साथ बातचीत या विचार-विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाना ;

(xx) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्रेडिटेंटस्टेल्ट फर वाइडरराऊफ्ब, यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और अन्य संगठन तथा अभिकरण भी हैं, अनुदान, सहायता, सहायकियां, निधियां या संदान, आदि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना, स्वीकार करना, प्रशासन करना और प्रबंध करना तथा अवसंरचना विकास परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को सुकर बनाना;

(xxi) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं का निधीयन करने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण या किए गए प्रत्यय ठहराव या जारी किए गए डिबेंचर या बंधपत्र के लिए प्रत्याभूति, आश्वासन पत्र या प्रत्यय पत्र जारी करना;

(xxii) रिजर्व बैंक से मांग पर या उस तारीख से, जब ऐसा धन स्टॉक, निधियों या प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) की, जिनमें कोई न्यासी, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा न्यास धन का विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है, प्रतिभूति के विरुद्ध इस प्रकार धन उधार लिया जाता है, नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय धन उधार लेना;

(xxiii) उधार लिए जाने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले सद्भाविक वाणिज्यिक या व्यापार संव्यवहारों से, उद्भूत विनिमयपत्र या वचनपत्र के विरुद्ध रिजर्व बैंक से धन उधार लेना;

(xxiv) किसी ऋण को, जिसे उधार लेने वाले तक विस्तृत किया गया है, साधारण शेयर में परिवर्तित करना; और

(xxv) किसी अन्य प्रकार का कारबार या किसी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करना, जिसे केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके प्राधिकृत करे ।

(2) उपधारा (1) को अग्रसर करने में, संस्था या तो स्वयं या अपनी किसी समनुषंगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से या किसी अन्य के सहयोजन से निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना विकास परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और भारत या विदेश से संस्थागत विनिधानकर्ताओं की भागीदारी को संचालित करना और उसे सुकर बनाना ;

(ख) प्रशिक्षण के लिए, सूचना के प्रसार और अनुसंधान की वृद्धि करने के लिए, जिसके अंतर्गत अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षण कराना भी है, सुविधाएं प्रदान करना और उक्त प्रयोजनों के लिए वह ऋण या अधिदाय या अनुदान, जिसके अंतर्गत अध्येतावृत्ति के लिए उपबंध के माध्यम से अनुदान भी हैं, दे सकेगा और किसी संस्था की अध्यक्षता करना;

(ग) अवसंरचना विकास क्रियाकलापों में लगे हुए किसी व्यक्ति को तकनीकी, विधिक, विपणन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;

(घ) अवसंरचना विकास, परियोजना संरचना, पूंजी संरचना या प्रवर्तन के लिए पश्चातवर्ती प्रचालन और भारत में या भारत से बाहर संबंधित अन्य मामलों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना;

(ङ) किन्हीं डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या बाध्यताओं को गठित करने वाले या उन्हें सुनिश्चित करने वाले किन्हीं विलेखों के न्यासी के रूप में कार्य करना और कोई अन्य न्यास प्रारंभ करना और उसका निष्पादन करना तथा निष्पादक, प्रशासक, प्रापक, कोषाध्यक्ष, अभिरक्षक और न्यास निगम का पद ग्रहण करना और उनकी शक्तियों का प्रयोग करना;

(च) किसी उपक्रम का अर्जन करना, जिसके अंतर्गत किसी संस्था का ऐसा कारबार, आस्तियां और दायित्व भी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित परियोजनाओं के लिए अवसंरचना वित्तपोषण की वृद्धि करना या उसका विकास करना है;

(छ) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं की वृद्धि, वित्तपोषण और विकास के प्रयोजन के लिए समुचित वित्तीय लिखतों के विकास और प्रसार, सभी प्रकृति के ऋणों और अधिदायों के परक्राम्य और संसाधनों के संग्रहण के लिए स्कीमें विनिर्मित करने के माध्यम से वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(ज) भारत में या भागत: भारत में और भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के प्रस्तावकों और अवसंरचना परियोजनाओं में विनिधानकर्ताओं के साथ प्रस्तावों की संरचना करना और करारों पर बातचीत करना;

(झ) भारत में या भारत से बाहर के किसी बैंक में कोई खाता खोलना या किसी अभिकरण के साथ ठहराव करना या भारत में या भारत से बाहर के किसी बैंक या अन्य संस्था के अभिकर्ता या सम्पर्की के रूप में कार्य करना; और

(ञ) ऐसे अन्य कार्य या चीजें करना जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का आनुषंगिक या पारिणामिक हो, जिसके अंतर्गत उसकी किन्हीं आस्तियों का विक्रय या अंतरण भी है ।

(3) केंद्रीय सरकार, संस्था द्वारा उससे अनुरोध किए जाने पर संस्था द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों, डिबेंचरों और ऋणों को प्रत्याभूत कर सकेगी जिससे मूल का प्रतिदाय और ब्याज का संदाय ऐसी दर, निबंधनों और शर्तों पर किया जा सके, जिस पर केंद्रीय सरकार सहमत हो ।

प्रतिषिद्ध कारबार ।

18. (1) संस्था, अपने स्वयं के बंधपत्रों या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अधिदाय नहीं देगी ।

(2) संस्था, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को, जिसमें संस्था का कोई निदेशक स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी या प्रत्याभूति-दाता है या जिसमें संस्था के एक या अधिक निदेशक कोई सारवान् हित रखते हैं, कोई ऋण या अधिदाय नहीं देगी ।

(3) उपधारा (2) किसी ऐसे उधार लेने वाले पर लागू नहीं होगी यदि संस्था का कोई निदेशक, संस्था या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उधार लेने वाले के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है या संस्था द्वारा ऐसे उधार लेने वाले में धारित शेयरों के आधार पर ऐसे उधार लेने वाले को बोर्ड में निर्वाचित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी उधार लेने वाले के संबंध में "सारवान् हित" से संस्था के एक या अधिक निदेशकों द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) में यथापरिभाषित ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा उधार लेने वाले के शेयर में या तो एकल रूप में या साथ-साथ धारित फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और उस पर समादत्त सकल रकम या तो पचास लाख रुपए से अधिक या उधार लेने वाले की समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत, जो भी कम हो या ऐसी अन्य सीमा है, जो विहित की जाए ।

2013 का 18

संबंधित पक्षकार संव्यवहार ।

19. (1) बोर्ड की सम्मति के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, संस्था किसी संबंधित पक्षकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई संविदा या ठहराव नहीं करेगी—

(क) किसी भी माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति करना ;

(ख) किसी भी किस्म की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय करना ;

(ग) किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देना ;

(घ) किन्हीं सेवाओं का लेना या प्रदान करना ;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति करना ;

(च) ऐसे संबंधित पक्षकार की संस्था में, उसकी समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों या सहयोजित कंपनियों में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति करना ;

(छ) संस्था की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पन्नियों के अभिदान की हामीदारी करना :

परंतु कोई संविदा या ठहराव, शेयरधारकों की साधारण बैठक में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, जिसमें ऐसी धनराशियों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से अधिक का संव्यवहार अंतर्वलित है :

परंतु यह और कि कोई शेयरधारक ऐसी साधारण बैठक में किसी संविदा या ठहराव, जो संस्था द्वारा किया जाए, का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा, यदि ऐसा शेयरधारक संबंधित पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात, संस्था द्वारा संव्यवहारों से भिन्न कारबार के अपने साधारण अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों, जो आसन्निकट के आधार पर नहीं है, को लागू नहीं होगी :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन अनुमोदन की आवश्यकता, ऐसे संव्यवहारों के लिए लागू नहीं होगी, जो संस्था और उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरणों को संस्था के साथ समेकित किया जाता है और अंगीकार किए जाने के लिए साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है, के बीच किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "पद या लाभ का स्थान" पद से कोई ऐसा पद या स्थान अभिप्रेत है—

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक संस्था से उस पारिश्रमिक का, जिसका वह निदेशक के रूप में हकदार है, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियां, किसी भाटक मुक्त आवास या अन्यथा से अधिक पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है ;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि वह व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय, जो उसे धारण कर रहा है, संस्था से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियां, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है ;

(ख) "आसन्निकट संव्यवहार" पद से दो संबंधित पक्षकारों के बीच का ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो इस प्रकार से संचालित किया जाता है, मानो वे संबंधित नहीं थे, जिससे हित का कोई विरोध न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव को, शेयरधारकों को बोर्ड द्वारा की गई रिपोर्ट में ऐसी संविदा या ठहराव करने के न्यायोचित्य के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) जहां कोई संविदा या ठहराव, किसी निदेशक या किसी कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति या उपधारा (1) के अधीन शेयरधारकों की साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किया जाता है और यदि इसका, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों द्वारा किसी बैठक में उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक से संबंधित पक्षकार के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो संबंधित निदेशक संस्था की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन करते हुए ऐसी संविदा की थी या ठहराव किया था ।

(5) संस्था का कोई निदेशक या कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया था या करने के लिए प्राधिकृत किया था, तो वह पच्चीस लाख रुपए तक की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन ।

20. (1) संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी बाह्य अभिकरण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किया जाएगा ।

(2) बाह्य अभिकरण, धारा 4 में यथा उपवर्णित संस्था के प्रयोजन और उद्देश्यों के संबंध में संस्था के कार्य निष्पादन का पिछले पांच वर्ष का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे मुख्य कार्य निष्पादन उपदर्शकों को हिसाब में लेगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) बाह्य अभिकरण, अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, जो की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के साथ उसकी एक प्रति ऐसी रिपोर्ट के अनुसरण में रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

अध्याय 5

सरकारी अनुदान, प्रत्याभूतियां और अन्य रियायतें

अनुदान और अभिदाय ।

21. (1) केंद्रीय सरकार, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान या अभिदाय के माध्यम से, जब कभी आवश्यक हो, संस्था की सहायता कर सकेगी ।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, संस्था की स्थापना से पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को पांच हजार करोड़ रुपए की रकम का अनुदान या अंशदान करेगी ।

सरकारी प्रत्याभूति की रियायती दर ।

22. सरकार, 0.1 प्रतिशत से अनधिक फीस की रियायती दर विहित कर सकेगी, जिस पर सरकारी प्रत्याभूति का विस्तार संस्था पर, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभू संपदा

निधियों और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं से, जो विहित की जाएं, उधार लेने के लिए किया जा सकेगा ।

बचाव लागत ।

23. विनिमय दरों में किन्हीं उतार-चढ़ावों से संस्था को अलग करने के लिए ऋणों और अधिदायों को प्रदान करने या उसका पुनर्संदाय करने के प्रयोजनों के लिए संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा को उधार लेने के संबंध में बचाव लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भागत: या पूर्णत: की जा सकेगी ।

अध्याय 6

लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

संस्था को उद्भूत होने वाले लाभों का आरक्षित निधि में व्ययन ।

24. (1) संस्था, एक आरक्षित निधि की स्थापना करेगी, जिसमें संस्था को उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभों में से ऐसी धनराशियों का अंतरण किया जा सकेगा, जिसे बोर्ड ठीक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन अंतरित की जाने वाली धनराशियां, संस्था को उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होंगी ।

(2) डूबंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों का अवक्षयण और अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक या समीचीन है या जिनके लिए बैंककारों द्वारा प्राय: उपबंध किया जाता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षित निधि के लिए उपबंध किए जाने के पश्चात् और लाभ के एक भाग को ऐसी अन्य आरक्षितियों या निधियों में अंतरित किए जाने के पश्चात्, जो समुचित समझी जाएं, बोर्ड अपने शुद्ध लाभ में से लाभांश का प्रस्ताव कर सकेगा ।

तुलनपत्र और लेखाओं का तैयार किया जाना ।

25. (1) संस्था का तुलनपत्र और लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किए जाएंगे, जो विहित की जाए ।

(2) बोर्ड, संस्था की बहियों और लेखाओं को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को या ऐसी अन्य तारीख को, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, बंद करवाएगा और तुलन करवाएगा ।

लेखापरीक्षा ।

26. (1) संस्था के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी, जिनकी नियुक्ति संस्था द्वारा शेयरधारकों की साधारण बैठक में, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से ऐसी अवधि और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो रिजर्व बैंक नियत करे, की जाएगी । 2013 का 18

(2) लेखापरीक्षकों को संस्था के वार्षिक तुलनपत्र की एक प्रति प्रदाय की जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वह लेखाओं और उससे संबंधित वाउचरों के साथ उसकी जांच करें और उन्हें संस्था द्वारा रखी गई सभी बहियों की एक सूची परिदत्त की जाएगी और उनकी सभी युक्तियुक्त समय पर, संस्था की बहियों, लेखाओं, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच होगी ।

(3) लेखापरीक्षक ऐसे लेखाओं के संबंध में, संस्था के किसी निदेशक या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकेंगे और वह बोर्ड या अधिकारियों या

संस्था के अन्य कर्मचारियों से ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के हकदार होंगे, जैसा वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) लेखापरीक्षक संस्था को वार्षिक तुलनपत्र और उनके द्वारा जांच किए गए लेखाओं पर एक रिपोर्ट देंगे तथा ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलनपत्र पूर्ण है और सभी आवश्यक विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए उचित और ठीक प्रकार से तुलनपत्र तैयार किया गया है, जिससे संस्था के कार्यों का सही और उचित दृश्य का प्रदर्शन किया जा सके और यदि उन्होंने बोर्ड या किसी अधिकारी या संस्था के अन्य कर्मचारी से किसी स्पष्टीकरण या सूचना की मांग की थी तो क्या वह दी गई है और क्या वह समाधानप्रद है ।

(5) संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को उस तारीख से चार मास के भीतर, जिसको लेखाओं को बंद किया जाता है और उनका तुलन किया जाता है, उनके तुलनपत्र और लेखाओं की प्रति सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान संस्था के कार्यकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा केंद्रीय सरकार उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखेगी ।

विवरणी और रिपोर्ट ।

27. संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को समय-समय पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी, जैसा केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक अपेक्षा करे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

न्यास में धारित की जाने वाली प्राप्य राशियाँ।

28. (1) संस्था से पुन: वित्तपोषण के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किन्हीं धनराशि को, संस्था द्वारा अनुदत्त सौकर्य सीमा तक और बकाया शेष को संस्था के लिए न्यास के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा तथा तदनुसार उनका ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा संस्था को संदाय किया जाएगा ।

(2) जहां संस्था द्वारा किसी वित्तीय संस्था को कोई सौकर्य अनुदत्त किया जाता है, वहां किसी ऐसे संव्यवहार के मद्धे ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां या जो धारित की जा सकेंगी, जिनकी बाबत ऐसा सौकर्य अनुदत्त किया गया है, ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा न्यास के रूप में संस्था के लिए धारित की जाएंगी ।

अन्य विकास वित्तीय संस्था की स्थापना ।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था के अतिरिक्त, किसी विकास वित्तीय संस्था की स्थापना करने की वांछा करता है, वह अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा ।

(2) रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार के परामर्श से ऐसे मानदंड, निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करें, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा ।

(3) कोई संस्था, जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

1934 का 2
1949 का 10

(4) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम, इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था को उस सीमा तक लागू होंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

अधिकारी और कर्मचारी ।

30. (1) संस्था, अपने कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह आवश्यक या वांछनीय समझे और सेवा में उनकी नियुक्ति की निबंधनों और शर्तों को अवधारित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्था के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण, निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत उनके वेतन और भत्ते तथा उनके फायदे के लिए भविष्य निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना और अनुरक्षण भी है, वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों का अवधारण, बाजार मानकों द्वारा मार्गदर्शित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(3) संस्था, किसी अधिकारी या अपने कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अवधारित की जाए, किसी अन्य संस्था में, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, तैनात कर सकेगी ।

(4) संस्था, किसी संस्था से, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर सकेगी या ले सकेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, संस्था को किसी अधिकारी या अपने कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को किसी संस्था में ऐसे वेतन, परिलब्धियों या अन्य निबंधनों और शर्तों पर तैनात करने के लिए सशक्त नहीं करेगी, जो उसके लिए उससे या उनसे जिसका वह ऐसी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व हकदार है, कम अनुकूल है ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे संस्थाएं, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन संस्था के शेयर को धारण कर सकेंगी ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चयन करने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के समावेशन की निबंधन और शर्तें ;

(घ) उपधारा (3) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की बाबत फीस और प्रतिपूर्ति

तथा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड और समिति के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन करने की रीति ;

(च) धारा 18 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के अधीन संस्था के निदेशकों या ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा फायदाप्रद हित का अवधारण करने की सीमा ;

(छ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संस्था कोई संविदा या ठहराव कर सकेगी ;

(ज) ऐसे मानदंड, जिनके आधार पर बाह्य अभिकरण, धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा ;

(झ) धारा 22 के अधीन सरकार के लिए फीस की दर ;

(ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन संस्था का तुलनपत्र और लेखे तैयार किए जाएंगे ;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम ;

(ग) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन समितियों के कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम तथा उनके कृत्य ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संव्यवहारों के लिए रकम ;

(ङ) उपधारा (2) के अधीन संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और अन्य शर्तें तथा धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन तंत्र ;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के तुरंत बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी हो जाएंगे; तथापि, ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

34. इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए संस्था या उसके अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत संस्था को सृजित या अन्तरित आस्तियों की बाबत भी है, नहीं की जाएगी ।

पूछताछ, जांच, अन्वेषण और अभियोजन के लिए मंजूरी ।

35. (1) कोई अन्वेषण अभिकरण, जिसके अंतर्गत पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और ऐसे अन्य अभिकरण भी हैं, किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं है, किसी ऐसे अपराध के बारे में कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा उनके पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या किए गए विनिश्चय के संबंध में किसी विधि के अधीन किया जाना अभिकथित किया गया है,—

(क) जहां अपराध, अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार के ; या

(ख) जहां अपराध, संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक के :

परन्तु ऐसे मामलों के लिए, जिनमें किसी व्यक्ति की स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयत्न करने के आरोप में मौके पर गिरफ्तारी अन्तर्वलित है, ऐसा कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक अपने विनिश्चय को तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करेगा और ऐसी अवधि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक द्वारा उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक के, दूसरे परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस उपधारा के अधीन अपने विनिश्चय को सूचित करने में

असफल रहने पर कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण आरंभ करने के लिए समझे गए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुचित लाभ" पद का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में उसका है । 1988 का 49

(2) कोई न्यायालय, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा किसी विधि के अधीन अभिकथित किए गए किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसके लिए निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना, उपधारा (1) के अधीन कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण करने की मंजूरी प्रदान की गई थी—

(क) जहां अपराध, अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार की ; या

(ख) जहां अपराध, संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक की :

परंतु केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक, इस उपधारा के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात्, ऐसे प्रस्ताव पर विनिश्चय को इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करने का भरसक प्रयास करेगी या करेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, विधिक परामर्श की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसी अवधि को, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह भी कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस उपधारा के अधीन अपना विनिश्चय संसूचित करने में केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक की असफलता को अभियोजन के आरंभ किए जाने के लिए समझा गया अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

संस्था द्वारा निदेशकों की नियुक्ति का अभिभावी होना ।

36. (1) जहां उधार लेने वाली किसी इकाई के साथ ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय संस्था द्वारा किया गया कोई ठहराव, ऐसी इकाई के एक या अधिक निदेशकों की संस्था द्वारा नियुक्ति या नामनिर्देशन के लिए उपबंध करता है, वहां ऐसा उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ज्ञापन और संगम के अनुच्छेदों या इकाई से संबंधित किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगी, और शेयर अर्हता, आयु सीमा, निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों का पद से हटाए जाने और ऐसी किसी विधि या पूर्वोक्त लिखत में अंतर्विष्ट ऐसी ही शर्तों के बारे में कोई उपबंध यथापूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में संस्था द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा । 2013 का 18

(2) यथापूर्वोक्त रूप में नियुक्त कोई निदेशक—

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र निदेशक समझा जाएगा ; 2013 का 18

(ख) संस्था के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और संस्था के लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा या प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ;

(ग) स्वयं के निदेशक होने के कारण ही या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए लोप की गई किसी बात या उसके संबद्ध में किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा ;

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होगा और उस पर ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए दायी निदेशकों की संख्या की संगणना करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता पर प्रश्न न किया जाना ।

37. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में संस्था द्वारा मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता को यथापूर्वोक्त ऐसी अन्य विधि या किसी संकल्प, संविदा, ज्ञापन, संगम अनुच्छेदों या अन्य लिखत की अपेक्षाओं के अननुपालन के आधार पर भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा की कोई बात, किसी कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम अभिप्राप्त करने के लिए वहां समर्थ नहीं बनाएगी, जहां ऐसी कंपनी के गठन से संबंधित लिखत ऐसी कंपनी को ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं करती है ।

विश्वसनीयता और गोपनीयता के संबंध में बाध्यताएं ।

38. (1) संस्था, इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा जैसा अपेक्षित है, उसके सिवाय, ऐसी परिस्थितियों में, के सिवाय, जिनमें विधि या बैंककारों में परिपाटी और रूढ़िजन्य प्रथा के अनुसार, संस्था के संबंध में ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए आवश्यक या उचित हैं, उसके संघटकों से संबंधित या उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य, संस्था या रिजर्व बैंक का लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संस्था द्वारा उपयोग की जाती हैं, अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व, पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करेगा ।

न्यायनिर्णयन ।

39. (1) बोर्ड, धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु विनियम बनाएगा ।

(2) विनियमों में, यथास्थिति, निदेशक या किसी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध धारा 16 या धारा 19 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शिकायत की जाती है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर तथा शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार के लिए उपबंध होगा ।

निदेशकों की क्षतिपूर्ति ।

40. (1) प्रत्येक निदेशक को, उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में, सिवाय ऐसे कर्तव्यों के जो उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, उपगत ऐसी सभी हानियों और व्ययों के लिए संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) कोई निदेशक, संस्था के किसी अन्य निदेशक के प्रति या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्रति या संस्था की ओर से अर्जित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या हक की किसी अपर्याप्तता या कमी या किसी ऋणी या संस्था के प्रति बाध्यता के अधीन किसी व्यक्ति के दिवालियापन या सदोष कार्य या अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के परिणामस्वरूप संस्था को होने वाली किसी हानि या व्ययों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

1891 का 18

41. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891, संस्था के संबंध में इस प्रकार लागू होगा, मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई बैंक हो ।

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का संस्था के संबंध में लागू होना ।

1949 का 10

42. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 36कघ के उपबंध संस्था को लागू होंगे ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और धारा 36कघ का संस्था को लागू होना ।

43. कंपनियों के परिसमापन से संबंधित विधि का कोई उपबंध संस्था को लागू नहीं होगा और समापन में संस्था को, केंद्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति में ही रखा जाएगा, जैसा वह निदेश करे, अन्यथा नहीं ।

संस्था का समापन ।

44. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में, ऐसी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्धकर होगी, जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित में दे ।

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

45. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के शीघ्र

पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1934 का अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन ।

47. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1949 का अधिनियम संख्यांक 10 का संशोधन ।

48. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 38(2) देखिए]

विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के, यथास्थिति, निदेशक, लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों का और जिनका संबंध उचित तौर से उक्त संस्था में मेरे द्वारा धारित पद या ओहदे से है, निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से और अपनी पूर्ण कुशलता तथा योग्यता से निष्पादन और पालन करूंगा ।

2. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त संस्था के कार्यों से या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से संबंधित कोई जानकारी, उसके लिए किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, संसूचित नहीं करूंगा या संसूचित नहीं होने दूंगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त संस्था का या उसके कब्जे में की तथा उक्त संस्था के कारबार या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबंधित किन्हीं बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा और न उसकी उन तक पहुँच होने दूंगा ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए (हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची

[धारा 47 देखिए]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (गगग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 1934 का 2

'(गगगi) "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(गगगii) "अन्य विकास वित्तीय संस्था" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त कोई विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;'।

धारा 17 का संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (4छ) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4झ) में, "औद्योगिक वित्त निगम" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (4ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ठ) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था को,—

(क) ऐसे स्टॉकों, निधियों और प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) के प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा उधार या अग्रिम देना, जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है ; या

(ख) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना, जो सद्भावपूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं, जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं और जो ऐसी उधार या अग्रिम की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं ;";

(घ) उपधारा (12ख) में, "औद्योगिक वित्त निगम" शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 42 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, "अथवा लघु उद्योग बैंक से" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 46ग का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 46ग की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ग) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 48 देखिए]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन।

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में, खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 1949 का 10

'(जख) "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(जग) "अन्य विकास वित्तीय संस्था" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;'।

धारा 18 का संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ii) में, "लघु उद्योग बैंक से" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 34क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (3) में, "लघु उद्योग बैंक," शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 36कघ का संशोधन।

4. धारा 36कघ की उपधारा (3) में, "लघु उद्योग बैंक," शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

———